20012/10/2017-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

(6)

चौथा तल, एन.डी.सी.सी-2 भवन

जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 01

दिनांक : 9 अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : संसदीय राजभाषा समिति की 9वें खंड की संस्तुतियों पर माननीय राष्ट्रपति जी के आदेशों के पालन के संदर्भ में।

संसदीय राजभाषा समिति की 9वें खंड की संस्तुतियों पर माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश संकल्प के रूप में दिनांक 31.03.2017 को जारी किए गए थे। समिति ने संस्तुति सं 7 में उल्लेख किया है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 जिसके अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाना अनिवार्य है, का उल्लंघन किया जा रहा है। समिति ने संस्तुति सं 8 में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के भी क्षीण अनुपालन का मुद्दा उठाया है। प्रायः देखा गया है कि मंत्रयालयों/विभागों में अंग्रेजी भाषा को ही प्राथमिकता दी जाती है, जो संविधान में निहित भावना के प्रतिकूल है।

2. समिति ने संस्तुति सं० 79 में राजभाषा नीति के सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और सभी अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग किए जाने पर भी बल दिया है।

3. उक्त सभी संस्तुतियां संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और आम आदमी से सबल संपर्क की स्थापना कि दृष्टि से की गई हैं तथा इन संस्तुतियों को माननीय राष्ट्रपति जी ने स्वीकार करके अनुपालन के आदेश भी दिये हैं। अतः केंद्र सरकार मंत्रालयों/विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में उक्त संस्तुतियों का अनुपालन और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

संलग्नक - संस्तुति सं 7,8,79

(डॉ० श्रीप्रकाश शुक्ल)

संयुक्त निदेशक (नीति)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)

	पर काम करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे हिंदी में भी कार्य कर सकें।	
6	समिति के देखने में यह भी आया है कि कतिपय विभाग/मंत्रालय आदि हिंदी प्रशिक्षण कार्यशालाओं के लिए बुलाए जाने वाले अतिथि वक्ताओं को अन्य विषयों के वक्ताओं की तुलना में कम मानदेय देते हैं। हिंदी अतिथि वक्ताओं को भी अन्य विषयों के वक्ताओं के समान ही मानदेय दिया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
7	सचिव (राजभाषा विभाग) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के उल्लंघन की स्थिति को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ उठाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
8	सचिव (राजभाषा विभाग) धारा 3(3) के उल्लंघन की स्थिति को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ उठाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
9	हिंदी जानने वाले कार्मिकों को सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण देने पर बल दिया जाए। इसके लिए डेस्क प्रशिक्षण भी कारगर साबित हो सकता है। "क"एवं "ख"क्षेत्रों में विशेष रूप से इस प्रयास को तेज किया जाए। "ग"क्षेत्र में समयबध्द कार्यक्रम बना कर सर्वप्रथम कार्मिकों को हिंदी शिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
10	कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने के संबंध में राजभाषा विभाग एक कार्यक्रम तैयार कर हिंदी शिक्षण योजना के सहयोग से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करे।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
11	प्रत्येक कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि कार्यालय द्वारा पत्राचार के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करने के लिए वे प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में किसी एक दिन सभी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य की समीक्षा करें और आगामी माह के लिए हिंदी में कार्य करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करें अर्थात उन्हें क्या-क्या काम हिंदी में करने हैं इस संबंध में निर्देश दें।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
12	विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा संबंधी रिक्त पड़े हुए पदों को अविलम्ब भरा जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
13	प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सामग्री को द्विभाषी	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियम और अधिनियम की पर्याप्त जानकारी देने के लिए उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में इन्हें शामिल किया जाना चाहिए।	
77	विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'इंडिया पर्सपेक्टिवस' नामक उत्कृष्ट पुस्तक के अंक हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करणों की समान संख्या प्रकाशित की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
78	सभी पासपोर्ट कार्यालयों में प्रयोग में लाए गए कंप्यूटरों पर हिंदी में काम करने की सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए, विशेषकर कंप्यूटरों पर कार्य मुख्यतया हिंदी में ही किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
79	राजभाषा नीति का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
80	एअर इंडिया और पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि०द्वारा सभी टिकटों पर हिंदी का समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
81	मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित वेतनमान एवं पदोन्नति के उचित अवसर दिए जाने चाहिए और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
82	भविष्य में समिति की राजभाषा संबंधी सभी निरीक्षण बैठकों में मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
83	मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में अप्रशिक्षित कार्मिकों को प्रशिक्षण देने तथा रिक्त पड़े हुए हिंदी पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए समयबध्द कार्रवाई की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
84	मंत्रालय द्वारा हिंदी भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/ कर्मचारियों को समय-बद्ध प्रशिक्षण देकर इन्हें हिंदी कार्यशालाओं में नामित किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
85	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली में	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।